चित्रकूट पुलिस

(1). "मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा "मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अभयराज एवं पैरोकार आरक्षी प्रशान्त कुमार, प्रभारी मानिटरिंग सेल श्री कमल किशोर एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री गोपाल दास द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट चित्रकूट श्री राममणि पाठक द्वारा दिनाँक 10.09.2026 को पैरवी हेतु मुख्यालय से चिन्हित थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 262/2017 धारा 147,148,149,307 भा0द0वि0 व 14 डीएए एक्ट के आरोपी अभियुक्त 1. अभियुक्त छोटू उर्फ छुटवा उर्फ छुटुवा पुत्र चन्द्रपाल कोल निवासी निही चिरैया थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट 2.रजौला उर्फ चौधरी पुत्र शिवमंगल निवासी नौबस्ता थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को 07-07 वर्ष का कारावास व 5,000/-5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण-</u>

दिनाँक 08.03.2017 को तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री सत्यपाल सिंह को मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी थी कि ग्राम खम्हरिया में कोढ़न तालाब के किनारे पहाड़ के नीचे रास्ते से गैंग के कुछ लोग जा रहे है। सूचना पर पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंचकर रोकने का प्रयास किया गया तो गैंग के सदस्यों द्वारा जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 262/2017 धारा 147,148,149,307 भा0द0वि0 14 डीएए एक्ट बनाम 1. छोटू उर्फ छुटवा उर्फ छुटुवा 2. रजौला उर्फ चौधरी उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री तपेश मिश्रा द्वारा सम्पादित की गई तथा दिनांक 29.08.2017 को आरोपी छोटू उर्फ छुटवा उर्फ छुटुवा व 28.03.2019 को आरोपी रजौला उर्फ चौधरी के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(3). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अभयराज सिंह एवं पैरोकार आरक्षी प्रशान्त कुमार, प्रभारी मानिटरिंग सेल श्री कमल किशोर एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर शासकीय अधिवक्ता गोपालदास द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी (न्यू) श्री राममणि पाठक द्वारा आज दिनांक 10.09.2026 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 263/2017 धारा 25 आर्म्स एक्ट के आरोपी अभियुक्त छोटू उर्फ छुटवा उर्फ छुटुवा पुत्र चन्द्रपाल कोल निवासी निही चिरैया थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 03 वर्ष का कारावास व 1000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(4). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अभयराज सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री प्रभाष रंजन गुप्ता द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन सुश्री विदिशा भूषण द्वारा आज दिनाँक 10.09.2026 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 601/2016 धारा 279,337,338 भादवि0 के

आरोपी अभियुक्त अच्छेलाल पुत्र रामकेश उर्फ रामकृष्ण निवासी चकलोहासर मजरा खोही थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 2500/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

(5). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री श्रीप्रकाश यादव एवं पैरोकार आरक्षी पुष्पेन्द्र यादव द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी सिद्वान्त सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जे0एम0 मऊ श्री एस0 आनन्द द्वारा आज दिनाँक 10.09.2026 को थाना मऊ में पंजीकृत एनसीआर 18/2017 धारा 323,504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त देवीदयाल पुत्र बदलूपाल निवासी बरियारी खुर्द थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 2000/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

(6). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री अजीत प्रताप सिंह एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी अजय कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जे0एम0 द्वितीय श्री अभिनव कुमार दुबे द्वारा आज दिनाँक 10.09.2026 को थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 06/2010 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त विष्णु मण्डवा चौहान पुत्र स्व0 मण्डवा चमनलाल चौहान निवासी ग्राम विधौच थाना पारनेर जनपद अहमद नगर महाराष्ट्र हाल पता मुहल्ला पटेलनगर कस्वा व थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को जेल में बिताई गई अवधि व 1500/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया ।

(7). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री नरेश प्रजापति, पैरोकार आरक्षी संजीव कुमार, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उ0नि0 श्री कमल किशोर एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सनद कुमार मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट चित्रकूट श्री राहुल मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 10.09.2026 को थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 156/2022 धारा 08/20 NDPS एक्ट के आरोपी अभियुक्त राजेश रैकवार उर्फ छग्गा रैकवार पुत्र रीवशी रैकवार निवासी गयागंज कस्वा व थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को जेल में बिताई गयी अवधि व 1100/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।